वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2006

क्र. एफ 3-44-2005-दस-1.—

शहीद वन कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु विशेष नियम

1. **संक्षिप्त नाम.**—(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहीद वन कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति विशेष नियम 2006 है.

(ख) ये नियम अधिसूचना जारी होने के दिनांक से लागू होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—''वन कर्मचारी'' से अभिप्रेत है वन विभाग के अन्तर्गत ऐसे समस्त कर्मचारी जो वन विभाग की स्थापना में नियमित रूप से अथवा कार्यभारित या आकस्मिक रूप से नियुक्त हुए हों अथवा जिनको अर्द्धवार्षिक आयु पूर्ण करने के उपरांत संविदा आधार पर सेवा वृद्धि प्रदान की गई हो.

''परिवार'' से अभिप्रेत है तथा ''परिवार'' का वही अर्थ होगा जो मूलभूत नियम में उसके लिए दिया है.

3. **अनुकंपा नियुक्ति निम्न तिथि में दी जावेगी.**—(1) यदि किसी वन कर्मचारी की मृत्यु वन सुरक्षा के दौरान हो जाती है तो संबंधित वन मण्डल अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने पर उसके परिवार के आश्रितों में से एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी.

4. **अनुकंपा नियुक्ति परिवार के निम्नलिखित आश्रित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को दी जा सकेगी.**—(1) दिवंगत शासकीय सेवक की विधिवा अथवा विधुर.

(2) दिवंगत शासकीय सेवक का पुत्र.

(3) दिवंगत शासकीय सेवक की अविवाहित पुत्री अथवा ऐसी पुत्री जो मृतक शासकीय सेवक के साथ रहती रही हो तथा उस पर पूर्णतः पुत्री आश्रित हो.

विवाद की स्थिति विधवा/विधुर द्वारा नामांकित पुत्र या पूर्णतः आश्रित पुत्री जो मृतक शासकीय सेवक के साथ रहती रही हो.

5. **पात्रता की अन्य शर्तें.**—(1) आवेदक/आवेदिका वन विभाग में संबधित तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता धारण करता हो.

(2) शहीद वन कर्मचारी के आश्रितों में से किसी सदस्य के शासकीय सेवा में होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी.

6. **पद जिन पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी.**—(1) इन नियमों के अन्तर्गत अनुकंपा नियुक्ति वन विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर ही दी जा सकेगी.

7. **अनुकंपा नियुक्ति के लिये आवश्यक अर्हताएं.**—(1) अनुकंपा नियुक्ति उसी व्यक्ति को दी जावेगी जो भरती नियमों के अनुसार पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताएं रखता हो, विभागाध्यक्ष द्वारा विशेष परिस्थितियों में चतुर्थ श्रेणी की शैक्षणिक अर्हता में शिथिलीकरण किया जा सकेगा.

8. **अनुकंपा नियुक्ति के लिये शिथिलीकरण.**—(1) शहीद वनकर्मी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु रिक्त पद की उपलब्धता का बंधन नहीं रहेगा.

(2) शासन द्वारा सीधी भर्ती पर लगाया गया प्रतिबंध शहीद वन कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में लागू नहीं होगा.

(3) शहीद शासकीय सेवक की विधवा या किसी आश्रित के लिये सहा. ग्रेड-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिये हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक शर्त नहीं होगी.

(4) शहीद शासकीय सेवक की विधवा के मामले में अधिकतम आयु सीमा की शर्त नहीं रहेगी साथ ही मृतक शासकीय सेवक के आश्रित सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में दस वर्ष की छूट रहेगी.

9. **अवयस्क सदस्यों की व्यवस्था.**—(1) इन नियमों के लागू होने के पूर्व विभाग में शहीद कर्मचारियों से संबंधित लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा.

(2) अवयस्क आवेदकों के प्रकरण में शहीद वन कर्मचारी की विधवा/विधुर द्वारा नामांकित आश्रित किसी एक सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति बाल वनरक्षक के पद पर की जावेगी. बाल वनरक्षक को वनरक्षक के प्रारंभिक वेतन का आधा वेतन दिया जावेगा.

(3) बाल वनरक्षकों को कार्यालयों में नियुक्ति दी जा सकेगी एवं उन्हें पाठशाला में अपनी पढ़ाई चालू रखने की सुविधा भी दी जावेगी. बाल वनरक्षक के वयस्क होने पर उसकी योग्यता अनुसार सहा. ग्रेड-3, वनरक्षक एवं चतुर्थ श्रेणी भृत्य के पद पर समाहित कर लिया जावेगा.

10. **अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया.**—(1) अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये प्रपत्र में उस कार्यालय के प्रमुख जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जावेगा.

(2) अनुकंपा नियुक्ति देने के लिये वही अधिकारी सक्षम होगा जो सामान्य परिस्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, जैसा भी प्रकरण हो के पदों पर नियुक्ति के लिये सक्षम हो.

(3) दिवंगत वनकर्मी के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति मध्यप्रदेश के जिस भी जिले में लेना चाहे उस जिले में दी जावेगी.

11. **अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु.**—(1) आवेदक को एक बार अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर अनुकंपा नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा.

(2) अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर की गई नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरिम नहीं की जा सकेगी.

(3) नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सकीय परीक्षण नियमानुसार कराया जावेगा, परन्तु दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामलों में नियुक्ति के पूर्व चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) कराने की शर्त नहीं रहेगी. अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जावेगी कि नियुक्ति के पश्चात् पुलिस सत्यापन के बाद यदि यह पाया जाता है कि नियुक्त विधवा, शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है, तो उसे दी गई अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी. ऐसे प्रकरणों में परिवार के अन्य पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी.

(4) यदि वनकर्मी की मृत्यु के 07 वर्ष के अंदर किसी आश्रित की पात्रता नहीं होती है तो ऐसे प्रकरण में शासन स्तर के अनुमोदन उपरांत ही कार्रवाई की जाए.

अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र

1. (क) दिवंगत शासकीय सेवा का पूर्ण नाम .....
   (ख) पदनाम .....
   (ग) कार्यालय का नाम जहां मृत्यु पूर्व दिवंगत शासकीय सेवक पदस्थ था .....
   (घ) मृत्यु दिनांक .....

2. (क) आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम .....
   (ख) दिवंगत शासकीय सेवक से संबंध .....
   (ग) स्थायी पता .....
   .....
   (घ) वर्तमान पता .....
   .....
   (ङ) जन्म तिथि (अंकों में) .....
   (शब्दों में) .....
   (च) आयु .....
   (छ) धर्म .....
   (ज) जाति (यदि अनु. जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हों तो स्पष्ट रूप से दर्शाये) .....
   (झ) शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण .....
   .....
   .....
   (ट) अन्य अर्हताओं का विवरण .....

3. दिवंगत शासकीय सेवक द्वारा छोड़ी गई तथा उसके आश्रित परिवार या परिवार के सदस्यों द्वारा धारित संपत्तियों का विवरण:—

क्रमांक	अचल संपत्ति	चल संपत्ति
1.	कृषि भूमि.....	हाथ ठेला.....
2.	मकान.....	स्कूटर.....
3.	दुकान.....	टैक्सी.....
4.	फैक्ट्री.....	बस.....
5.	अन्य.....	अन्य.....

मैं यह भी वचन देता हूं/देती हूं कि मैं स्व. श्री ..... (दिवंगत शासकीय सेवक का नाम) के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करूंगा/करूंगी बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाये कि मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो मेरी अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

स्थान :
दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि:—

1. आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदन-पत्र में दिये गये संपूर्ण तथ्यों/विवरण की सूक्ष्मता से जांच कर ली गई है. आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति दी जाना उचित होगा.

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
(जहां दिवंगत शासकीय सेवक कार्यरत था)

नाम . . . . . .
कार्यालय का पता . . . . . .

वन मण्डलाधिकारी का सत्यापन प्रमाण-पत्र

सत्यापित किया जाता है कि श्री . . . . . पद . . . . . जो इस वन मण्डल में पदस्थ थे, का निधन वन सुरक्षा/कर्तव्य निर्वहन के दौरान वन अपराधियों से मुठभेड़ में शहीद हो जाने/अपराधियों द्वारा मारे जाने के कारण हुआ है.

वनमण्डलाधिकारी
. . . . . वनमण्डल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एच. मुरलीकृष्ण, पदेन अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.